

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2021

जयपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2021

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(2)(1)पंचा/रानिआ/2021/3039 दिनांक 09.07.2021 द्वारा घोषित संलग्न सूची के अनुसार राज्य की 50 ग्राम पंचायतों में सरपंच के रिक्त पदों एवं इन्हीं ग्राम पंचायतों में उप सरपंच एवं बार्ड पंचों के रिक्त पदों के लिए उप चुनाव हेतु मतदान दिवस दिनांक 25.07.2021 कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के उक्त उप चुनाव दिनांक 25.07.2021 (रविवार), को (संलग्न सूची अनुसार) मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से



(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 3232

दिनांक: 19.07.21

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



उपसचिव

राज्य निर्वाचन आयोग